न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — झंवर लाल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या : 107/2025

अनवान

1 जगदीश पिता हजारी ब्राहमण उम्र वयस्क, निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा

2 भैरूलाल पिता हजारी ब्राहमण उम्र वयस्क, निवासी आमलीगढ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा

———प्रार्थीगण

बनाम

1 श्रीमती नाना देवी पत्नी शिवकुमार व्यास (ब्राहमण) उम्र वयस्क निवास— आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

2 श्रीमती नाना देवी पत्नी शिवलाल व्यास (ब्राहमण) उम्र वयस्क निवास— आमलीगढ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

3 श्रीमती प्रेम देवी पुत्री गंगाधर ब्राहमण उम्र वयस्क निवास आमलीगढ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

4 श्री भगवती लाल पिता शिवलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवास आमलीगढ़ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

5 श्री भैरूकन्या पुत्री शिवलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवास— आमलीगढ़ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

6 श्री राजेन्द्र कुमार पिता लादूलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवास आमलीगढ़ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

7 श्री रामपाल पिता लादूलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवास आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

8 श्री लोकेश पिता शिवलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवास— आमलीगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

9 विमला पुत्री लादूलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवास— आमलीगढ़ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

10 श्रीमती सम्पत देवी पत्नी लादूलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवास आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

11 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ़, जिला—भीलवाड़ा

———अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::— श्री श्यामलाल गुर्जर—— प्रार्थीगण अधिवक्ता
श्री सोम कुमार औझा———अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01, 08
अप्रार्थी संख्या 11 राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ़

अनुपस्थित :— अप्रार्थीगण संख्या 03,04,05,06,07,09,10

निर्णय

दिनांक 09–06–2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीयों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) तथा राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 04.06.2025 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि ग्राम आमलीगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1099, 1132, 1134, 1135, 1136, 616 एवं 946 कुल रकबा 6.9928 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण का वैध खातेदारी हक, कब्जा, काश्त एवं उपयोग–उपभोग राजस्व अभिलेखों में विधिवत दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज कई वर्षों से कृषि कार्य करते आ रहे हैं तथा उक्त भूमि ही उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर मौसमी फसलें, चारा एवं अन्य कृषि उत्पादन नियमित रूप से किया जाता है। किन्तु प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1099 तक पहुंचने हेतु राजस्व अभिलेखों में कोई विधिवत एवं दर्जशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रार्थीगण को कृषि कार्य संपादन, ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों की आवाजाही, फसल की ढुलाई, खाद–बीज ले जाने तथा दैनिक उपयोग हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में प्रार्थीगण ग्राम आमलीगढ़ की खसरा संख्या 916, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में ग़ैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, तथा खसरा संख्या 918 ग़ैर मुमकिन नाला के समीप से होकर विपक्षीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1096 एवं 1095 में से होकर अपनी भूमि खसरा संख्या 1099 तक आवागमन करते चले आ रहे हैं। उक्त मार्ग वर्षों से व्यवहार में रहा है तथा ग्रामवासियों एवं आसपास के खातेदारों को भी इसकी जानकारी है। उपरोक्त वर्णित मार्ग प्राचीन, परंपरागत एवं निरंतर उपयोग में लिया जाने वाला रास्ता है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण एवं उनके परिवारजन लंबे समय से बिना किसी विवाद के करते रहे हैं। उक्त रास्ते से ही प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि तक पहुंचते रहे हैं तथा कृषि उपज, पशुओं हेतु चारा, कृषि यंत्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री का आवागमन करते रहे हैं। किन्तु चूंकि उक्त मार्ग राजस्व अभिलेखों में विधिवत दर्ज नहीं है, इस कारण विपक्षीगण समय–समय पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण आवागमन में अवरोध उत्पन्न करते रहे हैं। विपक्षीगण द्वारा दुर्भावनावश उक्त मार्ग को पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया गया तथा प्रार्थीगण को रास्ते के उपयोग से रोक दिया गया। विपक्षीगण द्वारा रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने में असमर्थ हो गये हैं, जिससे उनकी खड़ी फसल, कृषि कार्य एवं आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रार्थीगण

को खेत तक पहुंचने के लिए लंबा एवं असुविधाजनक मार्ग अपनाना पड़ता है, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। प्रार्थीगण के पास उक्त भूमि तक पहुंचने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्राकृतिक स्थिति एवं भूमि की बनावट को देखते हुए अन्य किसी दिशा से रास्ता निकालना भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में न्याय, सुविधा, प्राकृतिक आवश्यकता एवं कृषि हित को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण की भूमि खसरा संख्या 1096 एवं 1095 में से होकर रास्ता कायम किया जाना अत्यंत आवश्यक, न्यायसंगत एवं विधिसम्मत है। राजस्व अभिलेखों एवं स्थल स्थिति के अनुसार खसरा संख्या 916 ग़ैर मुमकिन रास्ता तथा खसरा संख्या 918 ग़ैर मुमकिन नाला दर्ज है, जिसके दक्षिण दिशा में विपक्षीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1096 एवं 1095 स्थित है। उक्त भूमि की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1099 तक पहुंचने हेतु यही मार्ग सबसे उपयुक्त, सुविधाजनक एवं व्यवहारिक है। प्रार्थीगण द्वारा संलग्न राजस्व नक्शे में लाईनिंग द्वारा चिन्हित मार्ग के अनुसार उक्त दोनों खातेदारी भूमि में से लगभग 20 फीट चौड़ाई का रास्ता निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे ट्रैक्टर, कृषि यंत्र एवं अन्य वाहन आसानी से आवागमन कर सकें। प्रस्तावित रास्ता केवल प्रार्थीगण की निजी सुविधा हेतु नहीं बल्कि कृषि उपयोग एवं भविष्य में विवादों की समाप्ति हेतु भी आवश्यक है। यदि उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया तो भविष्य में पुनः विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहेगी। अतः न्यायालय से निवेदन है कि उक्त भूमि के आवश्यक भाग को "सिवायचक बिलानाम सरकार" दर्ज करते हुए राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाएं, जिससे प्रार्थीगण को स्थायी, सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन का अधिकार प्राप्त हो सके तथा भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

अतः समस्त परिस्थितियों, उपलब्ध राजस्व अभिलेखों, स्थल निरीक्षण, वर्षों से प्रचलित उपयोग, वैकल्पिक मार्ग के पूर्ण अभाव, कृषि हित, न्यायहित एवं विधि के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि ग्राम आमलीगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा स्थित खसरा संख्या 916 ग़ैर मुमकिन रास्ता एवं खसरा संख्या 918 ग़ैर मुमकिन नाला से सटे दक्षिणी भाग में स्थित विपक्षीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1096 एवं 1095 में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता निर्धारित कर उसके क्षेत्रफल को "सिवायचक बिलानाम सरकार" दर्ज करते हुए राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में दर्ज कराने के आदेश प्रदान किये जाएं। साथ ही प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से स्थायी एवं निर्बाध आवागमन का अधिकार प्रदान किया जाकर विपक्षीगण को भविष्य में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने, रास्ता बंद करने अथवा प्रार्थीगण को परेशान करने से पाबंद किया जाए।

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04.06.2025 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को विधिसम्मत रूप से दर्ज रजिस्टर कर लिया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर कारण दर्शाने हेतु तलब किया गया। उक्त नोटिस की तामील विधिवत रूप से प्राप्त हो गई। विपक्षीगण संख्या विपक्षी संख्या 01,02,08 ने जवाब के माध्यम से अदालत को यह बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित यह तथ्य कि ग्राम आमलीगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी खसरा संख्या 1099, 1132, 1134, 1135, 1136, 616 एवं 946 कुल रकबा 6.9928 हैक्टेयर प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार में स्थित है, स्वीकार किया जाता है। किन्तु प्रार्थना पत्र की अन्य समस्त कथन, विशेषकर विपक्षीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1096 एवं 1095 में से होकर रास्ता उपयोग करने संबंधी कथन पूर्णतः असत्य, भ्रामक, तथ्यहीन एवं निराधार हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि प्रार्थीगण कभी भी विपक्षीगण की उक्त आराजियों में से होकर नियमित अथवा वैधानिक रूप से आवागमन नहीं करते रहे हैं और ना ही वहां किसी प्रकार का पूर्व प्रचलित, राजस्व अभिलेखों में दर्ज अथवा मौके पर विद्यमान रास्ता मौजूद है। विपक्षीगण द्वारा किसी भी प्रकार से रास्ता बंद करने अथवा आवागमन में बाधा उत्पन्न करने का कथन भी पूर्णतः मनगढ़ंत एवं दुर्भावनापूर्ण है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक, सुविधाजनक एवं प्राचीन रास्ता उपलब्ध है, जो सरकारी आम रास्ता खसरा संख्या 1157 से होकर चरागाह भूमि खसरा संख्या 1162 एवं 1156 तथा श्री चारभुजानाथजी की भूमि खसरा संख्या 1181 से होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1131, 1132 एवं 1099 तक पहुंचता है। उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण दोनों पक्षों द्वारा विगत लगभग 100 वर्षों से शांतिपूर्वक, निर्बाध एवं निरंतर किया जाता रहा है। उक्त मार्ग ग्रामवासियों के सामान्य उपयोग में भी रहा है तथा मौके की स्थिति एवं स्थानीय जानकारी रखने वाले ग्रामीणजन भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं। प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान प्रार्थना पत्र केवल विपक्षीगण की निजी खातेदारी भूमि पर अनावश्यक दबाव बनाने एवं विवाद उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा जिस स्थान से 20 फीट चौड़ाई का नया रास्ता मांगा गया है, वहां स्थल स्थिति के अनुसार लगभग 20 फीट चौड़ा प्राकृतिक नाला स्थित है, जिससे वहां से किसी भी प्रकार का आवागमन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। वर्षा ऋतु में उक्त नाले में अत्यधिक जल प्रवाह रहता है तथा भूमि का स्वरूप दलदली एवं ढलानदार हो जाता है, जिससे वहां स्थायी रास्ता बनाना तकनीकी एवं व्यवहारिक दृष्टि से असंभव है। उक्त स्थल पर गैर मुमकिन नाला एवं कुआं स्थित होना राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज है, अतः वहां रास्ता निर्धारित किया जाना न केवल अव्यवहारिक है बल्कि राजस्व नियमों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं न्यायिक दृष्टांतों के भी प्रतिकूल है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्राकृतिक जल निकासी को

प्रभावित करेगा, जिससे आसपास की कृषि भूमि में जलभराव, कटाव एवं फसल नुकसान जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रार्थीगण द्वारा नाले के सहारे रास्ता मांगा जाना माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, विशेषकर अब्दुल रहमान प्रकरण में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों, का भी उल्लंघन है, जिसमें प्राकृतिक नालों एवं जल निकासी मार्गों को अवरुद्ध अथवा परिवर्तित नहीं किये जाने का सिद्धांत स्थापित किया गया है। विपक्षीगण स्वयं भी अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1095 एवं 1096 तक आने–जाने के लिए वर्षों से प्रचलित उसी पुराने रास्ते का उपयोग करते हैं, जो सरकारी बिलानाम रास्ते एवं चरागाह भूमि में से होकर गुजरता है। यदि वास्तव में विपक्षीगण की भूमि में कोई रास्ता होता तो विपक्षीगण स्वयं भी उसी का उपयोग करते, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। अतः प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की निजी खातेदारी भूमि में से नया रास्ता मांगना दुर्भावनापूर्ण, अनावश्यक एवं विधि विरुद्ध है।

अतः समस्त तथ्य, राजस्व अभिलेख, स्थल स्थिति, प्राचीन एवं वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता, प्राकृतिक परिस्थिति, मौके की वास्तविकता तथा दोनों पक्षों द्वारा वर्षों से उपयोग किये जा रहे मार्ग को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यहीन, असत्य एवं स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। विपक्षीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1096 एवं 1095 में से किसी प्रकार का रास्ता कभी अस्तित्व में नहीं रहा है तथा न ही वहां रास्ता दिया जाना न्यायोचित, व्यवहारिक अथवा विधिसम्मत है। इसके विपरीत, जो पुराना एवं प्रचलित रास्ता सरकारी रास्ता, चरागाह भूमि एवं खसरा संख्या 1131, 1132 से होकर संचालित है, वही वास्तविक, सुविधाजनक एवं व्यवहारिक आवागमन मार्ग है, जिसका उपयोग दोनों पक्ष वर्षों से करते चले आ रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत किये गये हैं, जबकि विपक्षीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में शपथपत्र, राजस्व नक्शा, स्थल फोटोग्राफ सहित एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार हैं।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किया जावे तथा न्यायहित में हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक से मौके का सत्यापन एवं निरीक्षण कराया जाकर वास्तविक स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे। यदि माननीय न्यायालय उचित समझे तो विपक्षीगण द्वारा मौके का वीडियो एवं फोटोग्राफ भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

न्यायालय परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों एवं न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अन्य उचित एवं न्यायोचित आदेश पारित करने की कृपा करे।

प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, हमीरगढ़ द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को यह बताया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजियों खसरा संख्या 1099, 1132, 1134, 1135 एवं 1136 तक पहुंच हेतु विपक्षीगंण की आराजी संख्या 1096 एवं 1095 में से रास्ता चाहते हैं, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार उक्त खसरों में से होकर कोई भी बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं है, जिससे वहां से रास्ता दिया जाना संभव नहीं पाया गया। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंच हेतु खसरा संख्या 1100/2 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से सटे भाग से होकर खसरा संख्या 1099 तक भूमि में से रास्ता निकाला जाना अधिक उपयुक्त एवं व्यवहारिक प्रतीत होता है। उक्त खसरा संख्या 1100/2 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार मोहनदास पुत्र कजोड़दास जाति बैरागी निवासी आमलीगढ़, के नाम दर्ज है, जो वर्तमान प्रकरण में पक्षकार नहीं है।

प्रकरण विचाराधीन रहते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 जा.दी. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन पर माननीय न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक विचारण एवं दोनों पक्षों को समुचित अवसर प्रदान कर सुनवाई की गई, तथा तत्पश्चात माननीय न्यायालय ने अंतर्गत धारा 151 जा.दी. के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार (नामंजूर) किया।

उभयपक्ष के दक्ष अभिभाषकों ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिंतन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) तथा राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि ग्राम आमलीगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा स्थित उनकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1099, 1132, 1134, 1135, 1136, 616 एवं 946 कुल रकबा 6.9928 हैक्टेयर तक निर्बाध आवागमन हेतु विपक्षीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1096 एवं 1095 में से 20 फीट चौड़ाई का स्थायी रास्ता निर्धारित कर उसे राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण का कथन था कि वे विगत कई वर्षों से उक्त भूमि में से होकर कृषि कार्य हेतु आवागमंन एवं दैनिक उपयोग हेतु आते–जाते रहे हैं तथा विपक्षीगण

द्वारा उक्त मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे उन्हें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि उनके पास उक्त भूमि तक पहुंचने हेतु अन्य कोई सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा न्यायहित में रास्ता निर्धारित किया जाना आवश्यक है। दूसरी ओर विपक्षीगण संख्या 01,02,08 ने अपने जवाब में प्रार्थीगण के समस्त कथनों का स्पष्ट एवं विस्तृत खंडन करते हुए कहा कि खसरा संख्या 1096 एवं 1095 में से होकर कोई रास्ता कभी अस्तित्व में नहीं रहा तथा न ही राजस्व रिकॉर्ड में ऐसा कोई बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। विपक्षीगण ने यह भी कहा कि प्रार्थीगण के पास पूर्व से ही वैकल्पिक एवं प्रचलित रास्ता उपलब्ध है, जो सरकारी रास्ता खसरा संख्या 1157, चरागाह भूमि खसरा संख्या 1162 एवं 1156 तथा खसरा संख्या 1131 एवं 1132 से होकर संचालित है और जिसका उपयोग दोनों पक्ष विगत लगभग 100 वर्षों से करते आ रहे हैं। विपक्षीगण ने यह भी प्रतिवाद किया कि प्रस्तावित स्थान पर प्राकृतिक नाला एवं जल निकासी व्यवस्था विद्यमान है, जिससे वहां से रास्ता निकालना व्यवहारिक, सुरक्षित एवं विधिसम्मत नहीं है। प्रकरण में उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेख, जमाबंदी प्रतिलिपियां, नजरी नक्शा, पक्षकारों के कथन, प्रस्तुत दस्तावेज, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा भू–अभिलेख निरीक्षक मेगरोप द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का सूक्ष्म परीक्षण एवं अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि खसरा संख्या 1096 एवं 1095 में से होकर कोई प्रचलित रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 31.10.2025 में स्पष्ट उल्लेखित है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि में से रास्ता चाहा गया है वहां प्राकृतिक नाला स्थित है तथा मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार वहां से रास्ता दिया जाना संभव नहीं पाया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंच हेतु खसरा संख्या 1100/2 से होकर वैकल्पिक रास्ता अधिक उपयुक्त, व्यवहारिक एवं कम विवादित प्रतीत होता है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि प्रस्तावित भूमि के आसपास जल निकासी की प्राकृतिक व्यवस्था विद्यमान है तथा वहां कुआं एवं नाले की स्थिति होने से रास्ता निर्माण भविष्य में प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई स्वतंत्र, ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि उन्हें विपक्षीगण की खातेदारी भूमि में से होकर ही आवागमन का कोई वैधानिक, परंपरागत अथवा अनिवार्य अधिकार प्राप्त है। केवल मौखिक कथनों अथवा एकपक्षीय दावों के आधार पर किसी खातेदार की निजी खातेदारी भूमि को "बिलानाम" दर्ज कर रास्ते में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जबकि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति दोनों से प्रमाणित हो रहा हो।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) का उद्देश्य केवल ऐसी परिस्थितियों में राहत प्रदान करना है, जहां कोई खातेदार पूर्णतः रास्ताविहीन हो तथा उसकी भूमि तक पहुंचने हेतु अन्य कोई व्यवहारिक, वैधानिक एवं सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध न हो। उक्त प्रावधान का प्रयोग किसी अन्य खातेदार की निजी भूमि पर अनावश्यक हस्तक्षेप अथवा सुविधा मात्र के आधार पर नहीं किया जा सकता। न्यायालय को रास्ता निर्धारित करते समय भूमि की वास्तविक स्थिति, राजस्व रिकॉर्ड, प्राकृतिक संरचना, जल निकासी व्यवस्था, अन्य खातेदारों के अधिकार, न्यूनतम क्षति के सिद्धांत तथा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तावित भूमि के समीप प्राकृतिक नाला स्थित होना, मौके पर कुआं एवं जल निकासी व्यवस्था होना तथा प्रस्तावित रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अस्तित्व नहीं होना यह दर्शाता है कि उक्त स्थान से रास्ता निर्धारित करना न केवल अव्यवहारिक है बल्कि प्राकृतिक जल प्रवाह एवं अन्य खातेदारों के अधिकारों को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के अनुसार प्राकृतिक नालों, जल निकासी मार्गों एवं विवादित निजी खातेदारी भूमि को बाधित कर रास्ता निर्धारित नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जबकि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित मार्ग से विपक्षीगण की कृषि भूमि का उपयोग एवं स्वामित्व अधिकार भी प्रभावित होना संभावित है, जो विधि एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। अतः प्रार्थीगण की मांग विधिसम्मत, न्यायोचित एवं आवश्यक नहीं पाई जाती है।

अतः समस्त तथ्यों, उपलब्ध दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों, मौका रिपोर्ट, स्थल निरीक्षण, पक्षकारों के कथनों एवं लागू विधिक प्रावधानों के सम्यक विचारण उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थीगण विपक्षीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1096 एवं 1095 में से रास्ता प्राप्त करने हेतु कोई वैधानिक, आवश्यक अथवा विशिष्ट अधिकार सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। यह भी प्रमाणित है कि प्रार्थीगण के लिए वैकल्पिक एवं प्रचलित रास्ता उपलब्ध है तथा प्रस्तावित मार्ग राजस्व रिकॉर्ड एवं स्थल स्थिति दोनों दृष्टियों से उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावा केवल सुविधा आधारित प्रतीत होता है, जबकि धारा 251(ए) के अंतर्गत राहत केवल वास्तविक आवश्यकता एवं रास्ताविहीन स्थिति में ही प्रदान की जा सकती है।